फर्द अहकाम

दिनांक	
10-11-04	वकील प्रार्थी उपवा। मामला इस प्रकार है कि आराजी ख० नं० 732 रकबा 0-88 ख० नं० 733 रकबा 0 ऐयर ख० नं० 734 रकबा 7 ऐयर ग्राम हाड़ौली तहसील हि० डौन के सायल 1 ता 5 खातेदार काश्तकार हैं। ख० नं० 730 रकबा 38 ऐयर का सायल नं० 6 ख० नं० 751 रकबा 38 ऐयर सायल नं० 7 ग्राम हाड़ौली के खातेदार काश्तकार हैं तथा उपयोग करते आ रहे हैं। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी हाल में इन्द्राज हो रहा है। उक्त आराजी ख० नं० 730 व 732, 733, 734 के मध्य सैटिलमैन्ट आपरेशन में बनी सीट मे ख० नं० 731 का भाग गै० मु० रास्ता प्रदर्शित किया गया है जिसका रकबा तहसीलदार हि० डौन ने सायल नं० 1 ता 5 के विरुद्ध की गई कार्यवाही में 8 ऐयर जाहिर किया है। जबकि वास्तव में उक्त खसरा नम्बरान 730 व 732, 733, 734 के मध्य मौके पर ऐसा कोई रास्ता कभी अस्तित्व में नहीं रहा, नाहीं रिकार्ड में दर्ज खसरा नं० 731 गै० मु० रास्ते का कोई भाग वास्तव में इस जगह पर है परन्तु रेवन्यू सीट में उक्त ख० नं० 731 का कुछ भाग उक्त ख० नं० 730 एवं 732, 733, 734 के मध्य ख० नं० 751 के दक्षिणी सिरे पर समाप्त कर दिया है। जब कि उक्त खसरा नम्बर 731 उक्त ख० नं० 730 के दक्षिणी सिरे पर ही समाप्त हो जाना चाहिए था। उक्त सीट में उक्त ख० नं० 731 का 8 ऐयर भाग सीट में दिखाये के अनुसार मात्र ख० नं० 730 एवं 732 733, 734 व 751 के खातेदारान का ही रास्ता सीट से प्रकट होता है। इस प्रकार उक्त 8 ऐयर रकबा
~ उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी	

[illegible] मोहम्मद [illegible] स्टेट T.I. ९/

फर्द अहकाम

उक्त ख० नं० 732, 733, 734 कुल रकबा 96 ऐयर का भाग है जिसे 8 ऐयर रकबे को सायल नं० 1 ता 5 मौजूदा रेवन्यू सीट में ख० नं० 731 के भाग के रूप में प्रदर्शित को हटाकर ख० नं० 732, 733, 734 के भाग के रूप में ख० नं० 730 के पूर्वी सिरे तक रेवन्यू सीट में तरमीम करने के अधिकारी हैं। रेवन्यू सीट मे ख० नं० 731 के 8 ऐयर भाग के चारों ओर सायलान के ही खेत हैं। दिनांक 23.7.04 को गैरसायल नं० 2 के आदेश से पटवारी एव गिरदावर 8 ऐयर रकबे के मौके पर पहुँचे। सायलान नं० 1 ता 5 ने उन्हे अपनी स्थिति स्पष्ट की। इसके बाद दि० 7-8.04 को तहसीलदार जी स्वयं मौके पर पहुँचे। तथा सायल नं० 1 ता 5 को स्पष्ट धमकी दी कि 8 ऐयर रकबे पर अपना कब्जा हटा लेना वरना अदालत से ही तुम्हारे पूरे खेतों से तुम्हें बेदखल कर देंगे। अत: गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा दौराने दावा पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान सायलान नं० 1 ता 5 को 8 ऐयर रकबा जो उन्होंने ख० नं० 730 व 732, 733, 734 के मध्य ख० नं० 731 के भाग के रूप में दिखा रखा है से उन्हें बेदखल ना करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार है एवं भूमि सरकारी हैं जिसे प्रार्थीगण पाने के अधिकारी नहीं है।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने नकल जमाबन्दी ग्राम हांडोली सं० 2055 ता 2058 किता नकल नक्शा नकल पर्चा मौका दिनांक 23.7.04 नकल

फर्द अहकाम

दिनांक

नक्शा नकल खसरा परिवर्तनशील स० 2004 स० 2059 सं० 2025 स० 2027 व स० 2033, नकल पत्रावली धारा 91 नकल स० 2033, नकल पत्रावली धारा 91 नकल विक्रय पत्र दिनांक 21.7.2004 पेश किये है।

बहस वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई पत्रावली एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। ख० न० 732, 733, 734 की खातेदारी रफीक मोहम्मद पु० शफी 1/6 शायद अली पुत्र आबाद अली हि० 1/4 महफूज, महमूद पि० शफी 1/3 आशिक अली पुत्र आबाद अली हि० 1/4 मुसलमान के नाम दर्ज है। ख० नं० 730 रकबा 0.37 पुत्र सेवाराम जाट के नाम दर्ज है। ख० न० 751 रकबा 0.38 की खातेदारी मोहिना पुत्र घीस्या कोली के नाम दर्ज है। ख० 731 रकबा 0.10 गै०मु० सड़क पर रफीक मोहम्मद पुत्र शफी मोहम्मद सं० 2025 से लगातार काबिज है। मुताबिक मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण का रकबा मौका पर रिकार्ड से कम है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में साबित होता है, चूंकि प्रार्थी ही विवादित आराजी पर काबिज है। उन्हे बेदखल करने पर सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायल नं० 2 सायल नं० 1 स० 5 को 8 रफ्तर रकबा जो उन्होने ख० नं० 730 व 732, 733, 734 के मध्य ख० नं० 731 के भाग के रूप में दिखा रखा है से बेदखल ना करें। उसके द्वारा शान्ती पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल दावे में शामिल रहे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।